

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 104/21 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2021/349

अनवान्

1. श्री उदयलाल पिता नवलराम डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती देउबाई पत्नी भेरूलाल गायरी निवासी भमरासिया तहसील वल्लभनगर।
2. श्रीमती सवी पिता शंकर पत्नी पुरा गाडरी निवासी खरवडो का गुडा निचला ढाणा तहसील मावली।
3. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 23.01.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली की आराजी नम्बर 3223, 3224, 3225 किता 3 कुल रकबा 1.0764 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम पर अंकित है जिनसे कोई दाद नहीं चाही गई है इसलिए अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित सम्पूर्ण हिस्सा पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज था जिस कुलिया 1/3 हक हिस्से को विपक्षी संख्या 2 को रूपयो की सख्त आवश्यकता होने से उक्त हक हिस्से को तमाम हक हकूक, रूख वृक्ष, निसार पेसार, आकाश—पाताल, हके सुखाधिकार, सर्वाधिकार स्वामित्व सहित तादादी 10,70,000/— दस लाख सित्तर हजार रूपया के प्रतिफल में विक्रय करना तय कर मुझ प्रार्थी से कुलिया विक्रय प्रतिफल प्राप्त करते हुए विपक्षी संख्या 2 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.02.2016 को मुझ प्रार्थी को विक्रय कर मौके पर भौतिक एवं वास्तविक आधिपत्य सिपूद कर दिया और तब से मैं



प्रार्थी अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें विपक्षी संख्या 1, 2 अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

3. यह कि मुझ प्रार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा मेरी क्रय सुदा कृषि भूमि को मेरे नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने हेतु असल विक्रय पत्र की फोटोप्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को सिपूद की थी जिस पर पटवारी हल्का ने मुझ प्रार्थी को आश्वासन दिया था कि वह विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण मुझ प्रार्थी के नाम पर खोल देगे। विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को देने के उपरान्त भी मुझ प्रार्थी ने कई बार पटवारी हल्का से जमीन मेरे नाम पर होने के बारे में पूछा गया तो पटवारी हल्का द्वारा हर समय यही कहा जाता कि अभी टाईम नहीं मिल रहा है और जब भी टाईम मिलेगा रजिस्ट्री से जमीन आपके नाम पर नामान्तरकरण खोलकर दर्ज कर दूंगा और मैं प्रार्थी भी पटवारीजी के आश्वासन एवं बातों पर विश्वास करता रहा। किन्तु मुझ प्रार्थी की क्रयसुदा कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में रद्दोबदल नहीं की गई। तत्कालीन पटवारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते हुए मुझ प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण मुझ प्रार्थी के नाम पर नहीं खोला गया जिससे मेरी खरीदशुदा जमीन विक्रेता विपक्षी संख्या 2 के नाम पर ही दर्ज रह गयी और विपक्षी संख्या 2 को जमीन उसके नाम पर ही अंकन होने की जानकारी होने पर इसके मन में लोभ व लालच की भावना जागृत हो गई और मुझ प्रार्थी को नुकसान पहुंचाकर नाजायज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुझ प्रार्थी को विक्रय की गई कुलिया कृषि भूमि पुनः विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को नुमाईशी तौर पर फर्जी तरीके से विक्रय कर दिया तथा विपक्षी संख्या 1 ने रेवेन्यु एजेन्ट से साठ गाठ कर नाजायज तरीके से मेरी क्रयसुदा कृषि भूमि को अपने नाम पर अंकित करवा लिया जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 ने मुझ प्रार्थी को विक्रय की गई भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रीत भूमि का विधिक प्रक्रिया अपना कर पंजीकृत विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी के पक्ष में सम्पादित किया है और विक्रीत भूमि का भौतिक कब्जा मुझ प्रार्थी को मौके पर सिपूद किया है जिस पर मैं प्रार्थी क्रय की तिथी से निरन्तर निर्बाध रूप से परिवारजन सहित काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं और काफी लागत लगाकर अपनी क्रयसुदा भूमि को उपजाऊ भी बनाई है और चारों तरफ थौहर एवं कांटों की बाड बनवाई है जिसमें विपक्षी संख्या 1, 2 का कोई हक व अधिकार नहीं है।
4. यह कि पटवारी हल्का द्वारा रजिस्ट्री से भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज नहीं करने से भूमि विपक्षी संख्या 2 के ही नाम अंकित रह गयी और विपक्षी संख्या 2 ने भूमि अपने

नाम पर अंकन रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए लाभ प्राप्त कर जमीन को पुनः विपक्षी संख्या 1 को फर्जी तरीके से नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये हसतान्तरित कर दी और उक्त तथाकथित नुमाईशी विक्रय पत्र से पटवारी हल्का से मिलीभगत कर एवं पटवारी हल्का ने नाजायज लाभ प्राप्त कर जमीन विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कर दी जिससे मेरी खरीदसुदा जमीन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित है जबकि इन्हे पूर्व से ही जानकारी है कि विपक्षी संख्या 2 ने उक्त जमीन में उसका जो हिस्सा था वह मुझ प्रार्थी को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूद कर रखा है और पटवारी हल्का को भी भलीभांति जानकारी थी कि उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 के हिस्से को मुझ प्रार्थी ने क्रय कर रखा है जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र भी नामान्तरकरण की कार्यवाही कराने हेतु काफी समय तक पटवारी हल्का के पास ही पडा रहा। ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रार्थी के पक्ष में सम्पादित किये गये विक्रय पत्र के पश्चात् जो विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में सम्पादित किया गया है वह फर्जी होकर इसके आधार पर की गई नामान्तरकरण की कार्यवाही मुझ प्रार्थी के मुकाबले स्वतः शून्य एवं निष्प्रभावी है और इससे मुझ प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2016 के आधार पर मुझ प्रार्थी के खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करा विपक्षी संख्या 1 के नाम को हटवाने का अधिकारी हूं जिसके लिए आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया है।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 2 से उसकी खातेदारी की भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और कब्जा प्राप्त किया है किन्तु विपक्षी संख्या 2 द्वारा विक्रय की गई कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खुलने से भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज रह गई और इस अंकन का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 2 ने अपने नाम अंकित रह गये सम्पूर्ण हिस्सा का नाजायज तरीके से पुनः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी एवं नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया और विपक्षी संख्या 1 ने फर्जी एवं नुमाईशी विक्रय पत्र से जमीन अपने नाम अंकित करवा दी जिससे मेरी क्रयसुदा जमीन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है। मेरी क्रयसुदा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 1 मुझ प्रार्थी को मेरी खरीदसुदा कृषि भूमि से धनबल एवं बाहुबल के जरिये बेदखल करने व जमीन अन्य को बेचने की ऐलानिया धमकीयां दे रही है और मेरे कब्जे काशत में भी दखलन्दाजी कर रही है जबकि विपक्षी संख्या 1 का मेरी खरीदसुदा हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थी

मौके पर खरीद की तिथी से अनवरत् काबिज चला आ रहा हूं तथा मौके पर मैंने इस क्रयसुदा जमीन पर थोहर व कांटो की बाड का निर्माण करा रखा हैं। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त जमीन किसी अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी को उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत की करावे, रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 3 से 5 को पाबंद किया जावे कि वे विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन/नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.09.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने मेरी खरीदशुदा जमीन पर आकर मुझे धमकी दी कि जमीन उसने खरीद रखी है और जमीन उसके खाते में अंकित है और इसके साथ इसने मुझे मेरी खरीदशुदा जमीन से बेदखल कर जमीन अन्य को बेचने की धमकी दी। इस पर मुझ प्रार्थी ने अपनी जमीन की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की एवं उप पंजीयन कार्यालय से रजिस्ट्री की प्रमाणित नकल प्राप्त की तो उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 3 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नहीं करे एवं विपक्षी संख्या 4, 5 मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रेकार्ड में नहीं करें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में

बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त जायदाद पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज होने का तथ्य स्वीकार हैं। वादग्रस्त जायदाद पर प्रार्थी का कोई अधिकार आधिपत्य नहीं है तथा न ही प्रार्थी वर्तमान में या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय वादग्रस्त जायदाद पर काबिज रहा हो, प्रार्थी का वादग्रस्त जायदाद पर कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा उक्त जायदाद मुझ विपक्षी संख्या 1 के अधिकार आधिपत्य में होकर मैं ही इसमें काश्त कर रही हूं तथा वर्तमान में वादग्रस्त जायदाद का 1/3 हिस्सा मुझ विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हैं। वादग्रस्त जायदाद के 1/3 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तथा उक्त जमीन प्रार्थी के कब्जे में नहीं होने से इसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करना कानूनन गलत है तथा प्रार्थी को जानकारी है कि उक्त जमीन उसके अधिकार आधिपत्य में नहीं होने से उसने जानबुझकर अपने नाम दर्ज नहीं करवाई तथा न ही प्रार्थी ने विधिवत तरीके से उक्त जायदाद क्रय की केवल नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है, इसलिए उक्त जमीन प्रार्थी के नाम पर दर्ज नहीं हुई।

8. यह कि मुझ विपक्षी संख्या 1 ने वादग्रस्त जायदाद विपक्षी संख्या 2 से विधिवत तरीके से अपने पक्ष में हस्तान्तरित करवाई है तथा नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर वर्तमान में काश्त कर रही हूं इसलिए वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी के पक्ष में कोई विधि सम्मत विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं हुआ है जिस दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी वाद लाया हैं उक्त दस्तावेज नुमाईशी है इसलिए नुमाईशी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थी ने वादग्रस्त जायदाद में कभी भी कब्जा नहीं लिया तथा न ही प्रार्थी ने कोई लागत लगा कर इसे उपजाउ बनाया है, उक्त जायदाद मुझ विपक्षी संख्या 1 के ही अधिकार आधिपत्य में है तथा मैंने ही उक्त भूमि विकसित की हैं। वादग्रस्त आराजीयात सवी के नाम होना स्वीकार तथा सवी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सवी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से सवी ने मुझ विपक्षी संख्या 1 को हस्तान्तरित की। प्रार्थी के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र नुमाईशी एवं गैर कानूनी होने से इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है। मुझ विपक्षी संख्या 1 ने पटवारी से कोई मिली भगत नहीं की बल्कि पटवारी द्वारा मेरे पक्ष में लिखा विक्रय पत्र देखने के बाद वादग्रस्त जायदाद में मेरा ही कब्जा होने के आधार पर नियमानुसार जमीन का नामान्तरकरण मेरे पक्ष में दर्ज किया जिससे मेरा वादग्रस्त जायदाद में विक्रय पत्र के आधार पर मेरा कब्जा होने से मेरे पक्ष में निर्णित किया गया तब से वादग्रस्त आराजीयात मेरे ही कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही हैं। मेरे पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र पूर्णतया: विधि सम्मत है क्योंकि

इसमें प्रतिफल भी दिया गया एवं मेरे द्वारा कब्जा भी प्राप्त किया इसलिए उक्त विक्रय पत्र पूर्णतया: सही है, जबकि प्रार्थी के पक्ष में लिखे गये विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल विपक्षी संख्या 2 को नहीं दिया गया तथा न ही विपक्षी संख्या 2 से प्रार्थी ने कभी कब्जा प्राप्त किया इस तरह कब्जा विपक्षी संख्या 2 के पास ही रहा जिसमें विपक्षी संख्या 1 को सिपुर्द किया, इस तरह वादग्रस्त जायदाद का कब्जा प्रार्थी को नहीं मिलने एवं प्रतिफल नहीं देने से प्रार्थी के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी है जिसके आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार आधिपत्य प्राप्त नहीं होता है।

9. यह कि वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थी का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला नहीं है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त जायदाद में अधिकार आधिपत्य नहीं होने तथा प्रार्थी के पक्ष में लिखा विक्रय पत्र विधि सम्मत् नहीं होने की वजह से प्रार्थी के पक्ष में लिखा विक्रय पत्र विधि सम्मत नहीं होने की वजह से प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है। मुझ विपक्षी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त जायदाद सही तरीके से विधिवत् तरीके से पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नाम आई है तथा मेरे पक्ष में लिखे गये विक्रय पत्र की दिनांक से विक्रय पत्र में वर्णित जायदाद मुझ विपक्षी संख्या 1 के अधिकार आधिपत्य में है जो मेरे नाम सही दर्ज हुई है, प्रार्थी के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र प्रार्थी का कब्जा नहीं होने एवं प्रार्थी द्वारा विधिवत् तरीके से पंजीकृत नहीं करवाने की वजह से अपने आप शून्य दस्तावेज है, जिसके आधार पर प्रार्थी को एकल अधिकार प्राप्त नहीं होते है, प्रार्थी का वादग्रस्त जायदाद में कभी कब्जा नहीं रहा न ही प्रार्थी ने कोई निर्माण करवाया है। वादग्रस्त जायदाद पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के अधिकार आधिपत्य में थी तथा मेरे पक्ष में हस्तान्तरित होने से मेरे अधिकार आधिपत्य में है इसलिए प्रार्थी मेरे विरुद्ध किसी भी तरीके की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता है तथा वादग्रस्त जायदाद के उपयोग उपभोग का मुझ विपक्षी संख्या 1 को पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त जायदाद मेरे नाम दर्ज होने तथा इस पर मेरा भी कब्जा होने की वजह से मुझ विपक्षीया को इसके उपयोग उपभोग का पूरा-पूरा अधिकार है तथा मेरे विरुद्ध किसी भी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता है। प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा संतुलन नहीं है तथा न ही प्रार्थी को कोई क्षति कारित हो रही है इसलिए प्रार्थी मेरे विरुद्ध किसी भी तरह की कानूनन राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
10. यह कि मेरे विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ, मैंने प्रार्थी को कोई धमकी नहीं दी तथा न ही प्रार्थी का वादग्रस्त जायदाद में कोई हक व अधिकार है जिस कारण मेरे विरुद्ध प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होता हों। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी

संख्या 1 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है:—
 1. प्रथम दृष्टया मामला— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 2 से क्रय करना बताकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अतः वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की क्रयसुदा भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
 2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
 3. अपूरणीय क्षति— चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, परन्तु प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 2 से क्रय करने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 3223, 3224, 3225 किता 3 कुल रकबा 1.0764 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम

करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2019 से विक्रय कर दी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। परन्तु प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी संख्या 2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2016 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को प्रार्थी के पक्ष में विक्रय कर दी गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2016 के आधार पर नामान्तरकरण पारित नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 द्वारा पुनः वादग्रस्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 01.09.2022 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को मौका परिवर्तन एवं विक्रय रहन, बेह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 795 पर दर्ज आराजी नम्बर 3223, 3224, 3225 किता 3 कुल रकबा 1.0764 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली